


## प्रथम सूचना रिपोर्ट

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.जयपुर नगर-प्रथम जयपुर, थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022  
प्र.ई.रि.सं..... 48/22 दिनांक ..... 16/2/22
- 2.-(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधित) अधि0 2018 धारायें 7, 7-ए,  
(2) अधिनियम.....भा0द0स0 धारायें सपटित 120-बी  
(3) अधिनियम..... धारायें.....  
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
- 3.-(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 343 समय..... 6.00 P.M.,  
(ब) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 14.02.2022, समय 2.40 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक - 10.2.2022
- 4.-सूचना की किस्म :-लिखित / मौखिक लिखित
- 5-घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बजानिब उत्तर पश्चिम 7 किलोमीटर ए.सी.बी.,  
मुख्यालय जयपुर से  
(ब) पता - ओर्बिट मॉल के पास मेट्रो स्टेशन के सामने सिविल लाईन जयपुर।  
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....
- 6.- परिवादी /सूचनाकर्ता :-  
(अ).-नाम :- श्री फूल सिंह मीणा  
(ब).-राष्ट्रीयता :- भारतीय  
(स).-पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.  
(द).-व्यवसाय :-
- 7.- ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
1- श्री इकराम खान पुत्र श्री सुभान खान जाति पठान मुसलमान उम्र 47 वर्ष निवासी  
बी-56, नटराज नगर इमलीवाला फाटक, लालकोठी जयपुर हाल खान सर्विस  
सेन्टर दुकान नं. 52, फस्ट फ्लोर, ईमित्र कार्य ऑर्बिट मॉल जयपुर एवं अन्य।
- 8.- परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :- .....
- 9.- चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें):-
- 10.-चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .....10,000/-रूपयें
- 11.-पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो ).....
- 12.-विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 10.2.2022 को परिवादी श्री फूल सिंह मीणा पुत्र श्री गंगा सहाय मीणा निवासी 184, तरुछायां नगर जयपुर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर ने श्री आलोक चन्द्र शर्मा अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार को निर्देशित किया। परिवादी फूल सिंह मीणा ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि "मेरे पुत्र नितिन मीणा ने पासपोर्ट कार्यालय में दिनांक 21.07.2019 करे जन्म तिथि त्रुटी को सुधारकर 07.10.1995 अंकित कर नया पासपार्ट जारी करने हेतु आवेदन किया था। लेकिन लगभग 2 वर्ष 6 माह व्यतीत होने के उपरांत भी जारी नहीं किया। मेरे पुत्र और मेरे द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट ऑफिस लगभग



25 बार Appointment लेकर कागजों की पूर्ति कराई गई। क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट जयपुर के द्वारा विभिन्न पत्राचार कर जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित कर लिया जैसे रजिस्ट्रार नगर निगम, अलवर, जिला सॉखिकी अधिकारी अलवर, अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त निदेशक (जीवनॉक) जयपुर एवं कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों से भी जन्म प्रमाण पत्र सत्यापित कर लिया गया। इस तरह समस्त कागजात पूर्ण हो गये फिर भी पासपोर्ट जारी न होने के उपरान्त मेरे पुत्र ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में एक रिट पिटिशन CW/4104/2020 Nitin Meena V/S VUI दायर की जो केस में निर्णय सुनवाई न होने के कारण नहीं हो पाया। मेरे पुत्र ने पासपोर्ट न बनने की शिकायत माननीय कैबिनेट मंत्री जयशंकर विदेश मंत्री एवं विदेश मंत्रालय में स्पीड पोस्ट व ईमेल के माध्यम से की उसके उत्तर में पासपोर्ट कार्यालय जयपुर को शीघ्र पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये गये। लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को दिनांक 10.1.2022 को शिकायत की गई इसके एवज में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी Neetu M Bhagotia द्वारा Email पर 20.01.2022 को पासपोर्ट कार्यालय मिलने के लिये बुलाया और उनके ऑफिस के Suprintendant व Mr. G.S.Rawat उपस्थित थे मैंने अपनी आवश्यकता से अवगत कराया मैंने बताया कि मेरा पुत्र नितिन मीणा, IIM Ahmedabad में पढ़ रहा है और उसके Final Placament चल रहे है जिसमें विदेशी कम्पनी भाग लेती है। अतः पासपोर्ट की तुरन्त जरूरत है। मुझे क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आपकी फाईल पूर्ण है हम आपका पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है बसर्ते कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से केस CW/4104/2022 विद्वा आवेदन कोर्ट में लगा दें। मैंने यह भी बताया कि मेरे पुत्र से कोर्ट से केस विद्वा का आवेदन तो लगा दूंगा लेकिन Covid -19 की वजह से Court अभी सुनवाई नहीं करेगी तो क्या आप पासपोर्ट जारी कर देंगे तो इस हेतु उन्होंने हां भरी। इस आदेश के तहत मैंने अपने पुत्र को अहमदाबाद से बुलाकर दिनांक 21.01.2022 को कोर्ट में केस वापसी हेतु आवेदन लगा दिया। मैं केस विद्वाल की Application जो Passport Office के Superintendant को जमा कर आया और बताया कि आपके मौखिक आदेश के अनुसार केस विद्वा का आवेदन लगा दिया है अब मेरे पुत्र का पासपोर्ट जारी कर दो तो उन्होंने आवेदन रखकर अग्रिम कार्यवाही का आश्वासन दिया। पुनः मैं Appointment लेकर 31.01.2022 को RPO जयपुर गया तो Suprintendant और Mr. G.S.Rawat ने बताया कि जब तक Court का Ordar नहीं आ जायेगा तब तक हम पासपोर्ट नहीं बना सकते आप जाओ और कोर्ट में केस लिस्ट करवाओ और Withdraw Ordar लाओ। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मेरे पुत्र का Final Placament 8.2.2022, 11.2.2022 और 14.2.2022 को अन्तिम है यदि पासपोर्ट नहीं मिला तो नौकरी नहीं मिलेगी। तब भी नहीं सुनी मैं वापिस आकर कोर्ट के चक्कर लगाने लगा। कल यानि 9.2.2022 को शाम 7 बजे Ikram जो Passport Office, orbit Mall, jaipur में उसकी दुकान है और वो पासपोर्ट दस्तावेज तैयार करने का कार्य करता है का फोन आया 9950801525 से कि मुझे RPO के PA से बात हुई है आपका पासपोर्ट जारी हो जायेगा इसके एवज में रु. 50,000/- घूस रिश्वत देनी होगी। मैंने बोला मेरे सारे दस्तावेज पूरे हो गये है। फिर भी इतना रूपये रिश्वत कुछ कम करो तो वह रु. 45,000/- के लिए तैयार हुआ है आज यानि 10.2.2022 को मध्यान्ह 2 बजे से पूर्व उसके ऑफिस रु. 35,000/- की मांग की है शेष रु. 10,000/- पासपोर्ट जारी होने पर देने है। महोदय पासपोर्ट कार्यालय में भ्रष्टाचार इस हद तक व्याप्त है कि 2 वर्ष 6 माह व्यतीत होने पर भी पासपोर्ट जारी नहीं किया गया और एक Student जो कि IIT Bombay और IIM Ahmedabad का पढा हुआ है। उसके जीवन से खिलवाड किया गया है। इस घोर अपराध के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट आफिस के जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दिलवाना आवश्यक है। अतः मैं ये शिकायत आपको मेरे पुत्र के Behalf पर कर रहा हूँ। एसडी/- फूल सिंह मीणा पुत्र श्री गंगा सहाय मीणा निवासी 184, तरुछायां नगर जयपुर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर